दया सिंह लाहौरिया उर्फ राजीव सुदान उर्फ विनय कुमार

बनाम

राजस्थान राज्य

14 मई, 2007

[न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर और न्यायमूर्ति पी.के. बालासुब्रमण्यन]

आपराधिक न्याय प्रशासन- अभियुक्त के विरूद्ध सजातीय मामला निर्णित किया वर्तमान मामलें में तब से अभियुक्त सजा से दंडित करने की अवधि के कारावास से गुजर चुका है, मामले के गुण दोष में प्रवेश करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नही होगा

वर्तमान अपील में, अपीलार्थी ने अपने दोषसिद्धि और सजा जिसके तहत उसे सात साल के कारावास भुगतने का आदेश दिया गया, को चुनौती दी है। यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी पहले से ही सात साल से जेल में है। अपील का निपटारा करते हुये, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित - इस न्यायालय द्वारा सजातीय मामले में दर्ज किये गये निष्कर्ष के प्रकाश में, यह अपील अधिक या कम, अकादमिक है और इन परिस्थितियों को देखते हुये निष्फल हो गई है कि अपीलार्थी को धारा **364** ए भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया गया है, और इस आदेश को बरकरार रखा गया है, और वर्तमान अपील में अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि ओर सजा को चुनौती दी है जिसके तहत उसे सात साल के कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी सात साल तक जेल में रहा है और उक्त अवधि समाप्त हो गई है। [पैरा **15**] [पेज **498**]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 728/2007

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच, जयपुर के एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 332/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 06.12.2005 से।

सुशील कुमार, कामिनी जायसवाल, दसवीर सिंह दल्ली, शोमिला बख्शी, सुनीता द्विवेदी, विनय अरोडा और सुदर्शन सिंह रावत अपीलार्थी की ओर से।

मिलिंद कुमार (अरूणेश्वर गुप्ता के लिए) एडिशल एड. जनरल।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेंच) के एकल न्यायाधीश द्वारा एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 332/2005 में निर्णय एंव आदेश दिनांक 06 दिसम्बर, 2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। जिस आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की गई। जिसे सेशन प्रकरण संख्या 27/2003 में अपर सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक न्यायालय) संख्या 01 जयपुर शहर, जयपुर द्वारा दोषसिद्ध किया गया था।

3. तथ्यों को विस्तार से रखना आवश्यक नही है क्योकि सभी तथ्यों को आपराधिक अपील संख्या 867/2006 (सुमन सूद उर्फ कमलजीत कौर बनाम राजस्थान राज्य) सजातीय मामले में रखा गया है जो कि आज हम निर्णित कर चुके है। यह कहना पर्याप्त है की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) संख्या 84 दिनांक 26 फरवरी 1995 को मालवीय नगर पुलिस स्टेशन, जयपुर पर दया सिंह, जो यहॉ अपीलार्थी, सुमन सूद उर्फ कमलजीत कौर (अभियुक्त संख्या 02) ओर किसी हरनेक सिंह उर्फ सुरेन्द्रवर्मा (मफरूर) के विरूद्ध अंतर्गत धारा 353, 420, 468, 471, 472,473, 474 सपठित धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आई.पी.सी.), विस्फोटक प्रदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 और 5, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 7 और 25 और टाडा की धारा 18 आदि के तहत दंडनीय अपराधों के लिये दर्ज हुई।

4. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलार्थी के साथ उसकी पत्नी सुमन सूद उर्फ कमलजीत कौर ने श्री राम निवास मिर्धा के बेटे राजेन्द्र मिर्धा के अपहरण और अपहरण की साजिश रचने के लिये कई वाहन खरीदने के लिए मनगढंत पंजीकरण प्रमाण-पत्र बनाये ताकि भारत सरकार पर दवाब डाला जा सके कि एक कथित खालिस्तानी आतंकवादी देवेन्द्र सिंह भुल्लर को रिहा किया जाए, जिसे

पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी जब मकान नंबर बी-117, मॉडल टाउन, अशोक नगर में रह रहा था तब उसके कब्जे से प्रतिबंधित हथियार और गोला-बारूद बरामद किये गये।

5. शुरू में अभियोजन टाडा के प्रावधान भी लागू होने से नामित न्यायालय अजमेर में आरंभ किये गये। हालांकि, अपीलार्थी ने टाडा के तहत अपने अभियोजन को चुनौती दी। दयासिंह लाहोरिया बनाम भारत संघ व अन्य (2004) 4 एस.सी.सी. 516 में इस न्यायालय ने चुनौती को बरकरार रखा क्योंकि अभियुक्त के अभियोजन को केवल प्रत्यर्पण संधि ओर प्रत्यर्पण डिक्री जिसके अंतर्गत उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

6. इसके पश्चात् मामला सेशन प्रकरण संख्या 27/2003 भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत दर्ज किया गया। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद अभियुक्त संख्या 01 (यहॉ अपीलार्थी) को निम्नानुसार दोषी ठहराया- धारा 420 भा.दं.सं. के अन्तर्गत: सात साल के लिए कठोर कारावास और 500 /- रू0 के जुर्माना, जुर्माना भुगतान न करने पर, आगे 6 माह के लिए साधारण कारावास। धारा 468 भा.दं.सं. के अन्तर्गत: सात साल के लिए कठोर कारावास और 500 /- रू0 के जुर्माना, जुर्माना भुगतान न करने पर, आगे 6 माह के लिए साधारण करावास से गुजरना होगा। धारा 471 भा.दं.सं. के अन्तर्गत: 2 साल का कठोर कारावास विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के तहत: 7 साल के लिये कठोर कारावास और 500/ रू. जुर्माना, जुर्माने के भुगतान की चूक में, आगे के लिए 6 महीने के साधारण कारावास से गुजरें।

7. जहां तक आरोपी संख्या 2 (सुमन सूद) का सवाल है न्यायालय द्वारा यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ मामले को संदेह से परे साबित करने में असमर्थ रहा उसे दोषमुक्त किया गया।

8. अपीलकर्ता ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश से व्यथित होकर राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की। इसी तरह राजस्थान राज्य ने सुमन सूद के खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश से व्यथित होकर बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया।

9. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभियुक्त नंबर 2 (सुमन सूद) के खिलाफ अनुमति देने से यह कहते हुये इनकार कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ बरी करने का आदेश दर्ज करने में सही किया था और अनुमति देने के लिए कोई मामला बनना नही पाया गया। तदनुसार अनुमति अस्वीकार कर दी गई।

10. जहां तक अपीलार्थी का सवाल है, अपील की सुनवाई के समय, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया था कि अपीलार्थी को अधिकतम सजा सात साल की दी गई थी और सभी सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया था। अपीलार्थी पहले ही सात साल तक जेल में रह चुका है और इस प्रकार वह पहले ही कारावास की सजा काट चुका है। इसलिए उन्होंने अपील पर दबाव नहीं डाला। उच्च न्यायालय ने अपील का निपटारा किया और संप्रेषण किया,

> "शुरूआत में अभियुक्त अपीलार्थी दया सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री जी. एस. फौजदार ने तर्क दिया कि वतर्मान मामले में अधिकतम सजा सात साल थी और सभी सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया था और अपीलकर्ता पहले ही सात वर्ष के कारावास की सजा पूरी कर चुका है। इसलिए, इन परिस्थितियों में वह दया सिंह की ओर से दायर अपील पर दबाव नहीं डालते हैं, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित उनकी दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी गई है जैसा कि ऊपर बताया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील के उपरोक्त बयान के मद्देनजर दया सिंह उर्फ विनय कुमार, द्वारा दायर एस.बी. सी.आर. अपील संख्या 332/05 को दबाव नही देने से खारिज किया जाता है।''

11. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्रीमती कामिनी जायसवाल ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी। जब न्यायालय द्वारा उनका ध्यान उपरोक्त पैराग्राफ की ओर आकर्षित किया गया, तो उन्होंने निवेदन किया कि इस बात पर विवाद नहीं

किया कि उच्च न्यायालय में अभियुक्त की ओर से ऐसा बयान दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपील पर बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए, खासकर जब अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं में,अनुमति दी गई और अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की गई। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय

और दोषसिद्धि और सजा का आदेश प्रथम दृष्टया, अवैध, गैरकानूनी और रद्द किए जाने योग्य है। उन्होंने यह भी कहा कि 11 जून 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालत के बीच 1931 की प्रत्यर्पण संधि को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता पर भारतीय अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था और अपीलकर्ता का मुकदमा कानून के अधिकार के बिना था। गुण-दोष के आधार पर भी अभियोजन पक्ष द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया था। अन्य आरोपी (सुमन सूद) को उन्हीं सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया और बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दी। उसी साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई सजा भी दोषपूर्ण है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

12. हमने विद्वान वकील की प्रार्थना पर विशेष रूप से विचार किया, जब मामला आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित हो और अन्य मामले लंबित थे। हालाँकि, तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि मामले के गुण-दोष में प्रवेश करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

13. जहां तक अपीलकर्ता के प्रत्यर्पण का सवाल है, हम पहले ही प्रत्यर्पण संधि के साथ-साथ अन्य मामले में प्रत्यर्पण आदेश से संबंधित सभी विवादों पर विस्तृत रूप से विचार कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत दंडनीय अपराधों के मुकदमे के लिए अपीलकर्ता के प्रत्यर्पण की भी अनुमति दी गई थी।

14. इसलिए हमारी राय में, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने, दोषसिद्धि और सजा को क्षेत्राधिकार के बिना या कानून के अधिकार नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, उक्त तर्क में कोई दम नहीं है और इसे नकार दिया जाना चाहिए।

15. जहां तक अन्य विवाद का संबंध है, हमने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें अपीलकर्ता अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया गया है। इसलिए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई अधिकतम सजा

और वर्तमान अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजा उन अपराधों के लिए सात साल की थी जो कथित तौर पर किए गए थे। अपीलकर्ता पहले ही उक्त सजा भुगत चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखा और अपील पर दबाव नहीं डाला। सजातीय मामले में हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के आलोक में यह अपील अधिक या कम अकादमिक हैऔर निम्नलिखित परिस्थितियों को देखते हुए निरर्थक हो गई हैः-

(1) अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा देने का आदेश दिया गया है और हमने उक्त आदेश को बरकरार रखा है और

(2) वर्तमान अपील में अपीलकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है जिसके तहत उसे सात साल के कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया है। अपीलकर्ता सात साल तक जेल में रहा और उक्त अवधि समाप्त हो गई है।

16. उपरोक्त कारणों से अपील का निपटारा किया जाना चाहिए और तदनुसार मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी पर विचार किए बिना इसका निपटारा किया जाता है।

एस.जे. अपील का निपटारा किया गया।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी जगेन्द्र कुमार अग्रवाल (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।